



इलाहाबाद उच्च न्यायालय
आपराधिक विविध ज़मानत आवेदन संख्या - 42559 वर्ष 2025

विशाल ...आवेदक(गण)
बनाम
उत्तर प्रदेश राज्यविपक्षी पक्ष(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : हरीश चंद्र
विरोधी पक्ष(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय कक्ष संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री हरीश चंद्र तथा राज्य-प्रतिवादियों की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री अरिमर्दन यादव को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अंतर्गत यह वर्तमान ज़मानत अर्जी आवेदक विशाल की ओर से इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की गई है कि उसे, पुलिस थाना साहिबाबाद, जिला गाजियाबाद में पंजीकृत, उत्तर प्रदेश गिराहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 2/3 के अंतर्गत दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 613, वर्ष 2025 में, विचारण की लंबित अवधि के दौरान ज़मानत पर रिहा किया जाए।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे किसी दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य के कारण इस मामले में झूठा फंसाया गया है। अनुलग्नक संख्या 1 के रूप में संलग्न 'गैंग-चार्ट' में केवल एक मामला दर्शाया गया है और उस मामले में भी आवेदक ज़मानत पर है।

आगे यह भी निवेदन किया गया है कि आवेदक किसी गिराह का सदस्य, सरगना अथवा आयोजक नहीं है, और उसने अधिनियम की धारा 2 के खंड (बी) में वर्णित किसी गिराह की गतिविधियों में न तो कोई दुष्प्रेरण किया है और न ही कोई सहायता प्रदान की है। उपर्युक्त

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



मामले के अतिरिक्त आवेदक का कोई अन्य आपराधिक इतिहास नहीं है। तत्पश्चात यह निवेदन किया गया है कि आवेदक के न्यायिक प्रक्रिया से पलायन करने अथवा गवाहों के साथ छेड़छाड़ करने की भी कोई संभावना नहीं है। आवेदक, जो दिनांक 12.09.2025 से जेल में निरुद्ध है, यह वचन देता है कि यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह इस स्वतंत्रता का कोई दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी बताया गया है कि न्यायालय में मामलों के भारी लंबित होने के कारण, मुकदमे के शीघ्र निपटारे की कोई संभावना नहीं है।

इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक की जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है, लेकिन उन्होंने आवेदक के विरुद्ध उस मामले के अलावा कोई अन्य मामला नहीं बताया है जो आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दर्शाया गया है।

तथ्यों की समग्रता, मामले की प्रकृति और रिकॉर्ड से परिलक्षित साक्ष्यों पर विचार करने के बाद, तथा अधिनियम की धारा 19(4) के प्रावधान को भी ध्यान में रखते हुए, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इसे जमानत के लिए एक उपयुक्त मामला पाता हूँ। अतः, वर्तमान जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।

आवेदक को उपर्युक्त केस क्राइम नंबर में जमानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते वह संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही राशि का एक व्यक्तिगत बंधपत्र और दो विश्वसनीय जमानतदार प्रस्तुत करे, निम्नलिखित शर्तों के साथ-

(i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी, या वादा नहीं करेगा, ताकि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से रोका जा सके, या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ न की जाए।

(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा-धमकाएगा नहीं।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iii) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से

उपस्थित रहेगा:

(i) मामले की शुरुआत, (ii) आरोप तय करना, और (iii) बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के तहत बयान दर्ज कराना।

(iv) आवेदक इस आशय का एक वचनपत्र प्रस्तुत करेगा कि वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर,

जब गवाह विचारण न्यायालय में उपस्थित हों, किसी भी स्थगन की मांग नहीं करेगा।

(v) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष निर्धारित प्रत्येक तिथि पर, या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से, उपस्थित रहेगा।

उपर्युक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, उसे जमानत रद्द करने का आधार माना जाएगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात केवल इस जमानत याचिका के निस्तारण के उद्देश्य तक ही सीमित है, और इसे किसी भी तरह से मामले के गुण-दोष पर व्यक्त की गई राय के रूप में नहीं समझा जाएगा। विचारण न्यायालय, इस आदेश में कही गई किसी भी बात से अप्रभावित रहते हुए, प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होगा।

14 जनवरी, 2026

न्यायमूर्ति श्री आशुतोष श्रीवास्तव